

लुम्बिनी प्रदेश सरकार  
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय  
जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय  
पाल्पा नेपाल

## अनुरोध फाराम



कृषक कुलोको नाम :

प्रदेश : लुम्बिनी प्रदेश

जिल्ला : पाल्पा

स्थानिय तह :

वडा नं. :

उप-आयोजना सञ्चालन हुने स्थान :

आ.व. २० / २०

## निवेदन फाराम (क)

विषय :- योजना संचालनार्थ सहयोगको लागि अनुरोध ।

श्रीमान् कार्यालय प्रमुख ज्यू,  
जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, पात्या ।  
महोदय,

सविनय निवेदन यो छ कि हामी निम्न लिखित हस्ताक्षर भएका व्यक्तिहरुको.....

..... को लागि यस डिभिजन कार्यालयबाट सहयोग पाउँ भनि अपनाउनु पर्ने नीति र कार्यविधिहरु सम्पूर्ण रुपमा बुझेका छौं र त्यसै अनुसार मात्र पूर्ण रुपमा सहमत पनि छौं । यसका लागि आवश्यक निवेदन फाराम (क) र (ख) सम्बन्धित कर्मचारीको मद्धतबाट भरी पेश गरेका छौं । निवेदन साथ संलग्न फाराममा भरिएको व्यहोरा ठीक छ, भनि हामी प्रमाणित समेत गर्दछौं ।

तालिका (१)

| सि.नं. | जलउपभोक्ता निवेदकहरुको नाम | ठेगाना | साविकको गाविस/ टोल | सम्पर्क नं. | हस्ताक्षर |
|--------|----------------------------|--------|--------------------|-------------|-----------|
| क      | शिर मुहानबाट               |        |                    |             |           |
| १      |                            |        |                    |             |           |
| २      |                            |        |                    |             |           |
| ३      |                            |        |                    |             |           |
| ४      |                            |        |                    |             |           |
| ५      |                            |        |                    |             |           |
| ख      | कुलोको मध्य भागबाट         |        |                    |             |           |
| ६      |                            |        |                    |             |           |
| ७      |                            |        |                    |             |           |
| ८      |                            |        |                    |             |           |
| ९      |                            |        |                    |             |           |
| १०     |                            |        |                    |             |           |
| ग      | कुलोको अन्तिम भागबाट       |        |                    |             |           |
| ११     |                            |        |                    |             |           |
| १२     |                            |        |                    |             |           |
| १३     |                            |        |                    |             |           |
| १४     |                            |        |                    |             |           |
| १५     |                            |        |                    |             |           |

निवेदन प्राप्त गर्नेको नाम :

(ज.सि.वि.डि., पात्याको कर्मचारी)

दस्तखत :

नोट : उपरोक्त १५ जना जल उपभोक्ता निवेदन मध्ये शिर(मुहान) मध्य र पुच्छार भागबाट ५/५ जनाको प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ ।

- १) १.१ प्रस्तावित आयोजनाको नाम :
- १.२ प्रस्तावित आयोजनाको किसिम : नयाँ ☐ सामान्य नविकरण सुधार ☐ वृहत नविकरण सुधार ☐  
( ☐ मा  $\sqrt$  चिन्ह अङ्कित गर्नुहोस)
- १.३ प्रस्तावित आयोजनाको ठेगाना : स्थानीय तह: ..... वडा नं. ....
- १.४ प्रस्तावित आयोजनाबाट लाभान्वित उपभोक्ताहरूको ठेगाना : स्थानीय तह .....  
..... वडा नं. ....
- १.५ (क) वर्तमान जल उपभोक्ताहरूको परिवार संख्या : .....  
(ख) वर्तमान जल उपभोक्ताहरूको संख्या : .....
- १.६ (क) थप सम्भाव्य परिवार संख्या : .....  
(ख) थप सम्भाव्य जल उपभोक्ता संख्या : .....

२) आयोजना स्थलसम्म पुग्ने बाटो :

| बाट    | सम्म   | सम्भाव्य साधन | अनुमानित दुरी र समय |           |
|--------|--------|---------------|---------------------|-----------|
| (ठाउँ) | (ठाउँ) | (पैदल/गाडी)   | कि.मी.              | घण्टा/दिन |
|        |        |               |                     |           |

तालिका (२)

सम्पूर्ण जल उपभोक्ताहरूको जग्गा विवरण

| सि.नं. | घरमुलीको नाम | ठेगाना<br>वडा नं. | परिवार संख्या |       | कित्ता नं | क्षेत्रफल (रोपनी) | दस्तखत | सम्पर्क नं. |
|--------|--------------|-------------------|---------------|-------|-----------|-------------------|--------|-------------|
|        |              |                   | महिला         | पुरुष |           |                   |        |             |
|        |              |                   |               |       |           |                   |        |             |
|        |              |                   |               |       |           |                   |        |             |
|        |              |                   |               |       |           |                   |        |             |
|        |              |                   |               |       |           |                   |        |             |
|        |              |                   |               |       |           |                   |        |             |
|        |              |                   |               |       |           |                   |        |             |
|        |              |                   |               |       |           |                   |        |             |
|        |              |                   |               |       |           |                   |        |             |
|        |              |                   |               |       |           |                   |        |             |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

जम्मा क्षेत्रफल :

नोट : आवश्यकता अनुसार नपुग भएमा थप पाना प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

आवश्यक जमानत रकम : जम्मा जग्गाको क्षेत्रफल ..... रोपनी

$$\begin{aligned}
 & \text{जम्मा क्षेत्रफल (रोपनी)} \\
 & = \frac{\quad}{20} \\
 & = \dots\dots\dots \text{हेक्टर}
 \end{aligned}$$

जम्मा रकम..... (रु ५० प्रति हेक्टरका दरले वा रु २.५० प्रति रोपनीका दरले हिसाब गर्ने)

नोट : १ हेक्टर = २०, रोपनी, २० रोपनी = १.४८ विघा)

### ३. आयोजनाको पृष्ठभूमि :

| सि. नं. | निर्माण                   | कार्य वर्ष | स्रोत | रकम(रु) | कार्यक्रमको नाम | कार्यान्वयन विधि | हालको स्थिति | कैफियत |
|---------|---------------------------|------------|-------|---------|-----------------|------------------|--------------|--------|
| १.      | प्रथम पटक निर्माण भएको    |            |       |         |                 |                  |              |        |
| २.      | नवीकरण सुधार गरिएको/गरिने |            |       |         |                 |                  |              |        |
| ३       |                           |            |       |         |                 |                  |              |        |
| ४       |                           |            |       |         |                 |                  |              |        |

### ४. पानीको स्रोत

| सि.नं. | स्रोतको नाम | किसिम | औषत जलप्रवाह (लि.प्र.से.) |        | कैफियत |
|--------|-------------|-------|---------------------------|--------|--------|
|        |             |       | वर्ष                      | हिउँदे |        |
| १      |             |       |                           |        |        |
| २      |             |       |                           |        |        |
| ३      |             |       |                           |        |        |

उपरोक्त अनुसार खुलाउन नसकेमा स्थानीय परिभाषा (घट्ट) मा खुलाउने ।

पानीको स्रोत सालभरि पानी हुने वा वर्षामा मात्र हुने के कस्तो हो ? खुलाउनु पर्नेछ ।

५. आयोजनाको नजिकको अन्य प्रणालीहरु :

५.१ आयोजनाको नजिकको अन्य प्रणालीहरु :

५.१ प्रस्तावित आयोजनाको नजिकै अन्य कुनै सिंचाई प्रणाली छ कि छैन ? ☐ मा ☐ चिन्ह अङ्कित गर्नुहोस ।

५.१.१ माथितिर (५ कि.मी. दुरी भित्र) ☐ छ ☐ छैन

५.१.२ तलतिर (५ कि.मी. दुरी भित्र) ☐ छ ☐ छैन

५.२ यदि छ भने,

| सि. नं. | माथितिर                 |                         |               | तलतिर                    |                |               |
|---------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|
|         | सिंचित क्षेत्र (हेक्टर) | सिंचित क्षेत्र (हेक्टर) | घरधुरी संख्या | मुहानदेखिको दुरी (कि.मी) | सिंचित क्षेत्र | घरधुरी संख्या |
|         |                         |                         |               |                          |                |               |

५.१ पानीका बाँडफाँड सम्बन्धमा कुनै विवाद छ कि छैन ? ☐ मा ☒ चिन्ह अङ्कित गर्नुहोस ।

५.३.१ माथिल्लो प्रणालीसँग ☐ छ ☐ छैन

५.३.२ तल्लो प्रणालीसँग ☐ छ ☐ छैन

६) जल उपभोक्ता कृषकहरुको संगठन

६.१ जल उपभोक्ता कृषकहरुको सङ्गठन छ कि छैन ? ☐ छ ☐ छैन

६.२ यदि छ भने, जिल्ला जलस्रोत समिति वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट संस्था दर्ता भएको ☐ छ ☐ छैन

६.३ यदि छैन भने, उपभोक्ताहरु संगठित हुन तयार छन् कि छैनन् ? ☐ छ ☐ छैन

६.४ यदि छ भने, निर्माणको विभिन्न चरणमा सहभागिता जुटाउन तयार छ कि छैनन् ? ☐ छ ☐ छैन

६.५ नवीकरण सुधार आयोजना भए हाल चाल अवस्थामा छ कि छैन ? ☐ छ ☐ छैन

६.६ यदि चालु छ भने हाल आयोजनाको सञ्चालन मर्मत सम्भार कसले गर्दै आएको छ ?

६.६.१ जल उपभोक्ताहरुको स्वयंद्वारा ☐ (✓ चिन्ह अङ्कित गर्नुहोस ।)

६.६.२ अन्य कुनै संस्थाद्वारा ☐

६.६.३ कुनै खास व्यवस्था वा प्रथा नभएको ☐

६.७ प्रस्तावित आयोजनाको निर्माण/नवीकरण सुधार भएपछि त्यसको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गर्ने पुर्ण जिम्मेवारी लिन उपभोक्ताहरु तयार छन् कि छैनन ? ☐ छन ☐ छैनन ।

७) नवीकरण सुधार आयोजनाको संक्षिप्त विवरण :

७.१ आधारभूत विवरण :

|           |                                                                           |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| ७.१.१     | मुल नहरको लम्बाई (हाल भैरहेको).....                                       | कि.मी. |
| ७.१.२     | विस्तार गर्नुपर्ने वा नपर्ने, यदि विस्तार गर्नुपर्ने भए सो को लम्बाई..... | कि.मी. |
| ७.१.३     | शाखा नहरको लम्बाई (हाल भइरहेको).....                                      | कि.मी. |
| ७.१.४     | विस्तार गर्नुपर्ने वा नयाँ थप गर्नुपर्ने, के हो ?                         |        |
| ७.१.५     | शाखा नहरको लम्बाई.....                                                    | कि.मी. |
| ७.१.६     | हाल भइरहेको सिंचित क्षेत्र.....                                           | हेक्टर |
| ७.१.७     | सम्भाव्य थप सिंचित क्षेत्र.....                                           | हेक्टर |
| ७.१.८     | संरचनाहरुको संख्या (हाल भइरहेको).....                                     | गोटा   |
| ७.१.९     | प्रस्तावित नयाँ थप संरचनाहरुको संख्या.....                                | गोटा   |
| ७.१.१० क) | हाल वर्षे वाली लाग्ने क्षेत्रफल.....                                      | हेक्टर |
|           | प्रस्तावित थप वर्षे वाल लाग्ने क्षेत्रफल.....                             | हेक्टर |
| ख)        | हाल हिउँदे वाली लाग्ने क्षेत्रफल.....                                     | हेक्टर |
|           | प्रस्तावित थप हिउँदे वाल लाग्ने क्षेत्रफल.....                            | हेक्टर |
| ग)        | हाल चैते वाली लाग्ने क्षेत्रफल.....                                       | हेक्टर |
|           | प्रस्तावित थप चैते वाली लाग्ने क्षेत्रफल.....                             | हेक्टर |

## ७.२ आधारभुत समस्या

|       |                                                 |  |
|-------|-------------------------------------------------|--|
| ७.२.१ | मुहान सम्बन्धी पानी ल्याउँदा पर्ने समस्या.....  |  |
| ७.२.२ | मुल नहरमा पानी चुहिने समस्या .....              |  |
| ७.२.३ | मुल नहर भत्किएको वा साँगुरिएको : छ/छैन ।        |  |
|       | यदि छ भने कस्तो प्रकारको समस्या छ, खुलाउने..... |  |

|       |                                         |  |
|-------|-----------------------------------------|--|
| ७.२.४ | स्थायी स्टक्चर नभएको :                  |  |
| ७.२.५ | सिंचाई व्यवस्थापनको लागि गेटहरु नभएको : |  |
| ७.२.६ | नदी कटान/पहिरो जाने :                   |  |

## ७.३ सहयोगको आवश्यकता

|       |                                       |                                                            |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ७.३.१ | मुहानमा नदी नियन्त्रण :               | गर्नुपर्ने/नपर्ने                                          |
| ७.३.२ | बाँध वा इन्टेक निर्माण :              | गर्नुपर्ने/नपर्ने                                          |
| ७.३.३ | मुल नहरको केही ठाउँमा लाइनिङ :        | गर्नुपर्ने/नपर्ने                                          |
| ७.३.४ | खोल्सी तथा अन्य ठाउँमा स्थायी स्टक्चर | बनाउनु पर्ने/नपर्ने                                        |
| ७.३.५ | मुल नहरको                             | क्षमता बढाउने/लम्बाई बढाउने/वा दुवै                        |
| ७.३.४ | शाखा नहरको                            | नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने/क्षमता बढाउने/लम्बाई बढाउने/वा सवै |

७.४ जल उपभोक्ता कृषकहरु स्वयंले निर्माण गर्न नसक्नुका कारणहरु : (लगाउनुहोस)

- |                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| ७.४.१ ठुलो रकमको आवश्यकता पर्ने                      | ( ) |
| ७.४.२ प्राविधिक सीप र ज्ञान नभएको                    | ( ) |
| ७.४.३ धेरै पटक विग्रै भत्केकोले स्थायी समाधान खोजेको | ( ) |
| ७.४.४ जल उपभोक्ताहरुमा संगठनात्मक स्वरूप नभएको       | ( ) |
| ७.४.५ संगठन भए ता पनि सक्रियता नभएको                 | ( ) |
| ७.४.६ धेरै पटक कोशिस गरेर असफल भएको                  | ( ) |

८. जल उपभोक्ता कृषकहरुको अग्रसरता :

८.१ सम्पूर्ण नवीकरण सुधार/नयाँ कार्यमा लाग्ने कुल खर्च निम्न अनुरूप सहभागिता व्यहोरिने श्र

८.१.१ रकममा.....प्रतिशत

८.१.२ श्रमदानमा.....प्रतिशत

८.१.३ कृषकहरुले माग फाराम कार्यालयमा बुझाउँदा प्रति रोपनी २५० पैसाको दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट को.ले.नि.का. इकाई पाल्पाका नाममा रा.बा.बै. पाल्पामा रहेको एकल धरौटी खाता नं. ३०३०१००२०२०३०००० मा जम्मा गरी सोको सक्कल भौचर कार्यालयमा उपलब्ध गराउने । कार्यालयको कोड नम्बर ३०८००५००१५ रहेको छ।

८.१.४ कृषकहरुले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा ३३ प्रतिशत महिला कृषक उपभोक्ता अनिवार्य सहभागी गराउने साथ दलित, उत्पीडित, पिछडिएका जनजाति, कृषक उपभोक्ताहरुलाई विशेष सहभागी गराई उपभोक्ता समिति गठन गर्ने ।

८.१.५ कृषकहरुबाट पानी उपभोग गरे वापत सिंचाई सेवा शुल्क उठेको जम्मा रकमको ९५ प्रतिशत सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले नै राख्ने र ५ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारको राजश्व खाता नं. १४२२९ मा रा.बा.बै. पाल्पामा जम्मा गर्ने र सोको सक्कल भौचर कार्यालयमा उपलब्ध गराउने । यसरी राजश्व जम्मा गर्ने सिंचाई आयोजनाहरुलाई मर्मत सम्भार लगायत अन्ड कार्यहरुमा समेत बढी प्राथमिकता दिइनेछ । साथै सिंचाई सेवा शुल्क नउठाइएका र राजश्व जम्मा नगरेका योजनाहरु नेपाल सरकारले थप लगानी गर्ने छैन ।

जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय,

पाल्पा